न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार,(RAS)
राजस्व वाद संख्या :– 99 / 20254 GCMS 2024/184
वादी :–

1. पेमाराम पुत्र गिरधारी आयु 65 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जैसाराम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी–ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।
   गौरादेवी पत्नी भागुराम फौत के कायम मुकाम
2. भंवरलाल पुत्र भागुराम जाति मेघवाल निवासी–ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामन जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी
4. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नावां
5. राजस्थान मरूधरा बैंक शाखा मिठड़ी
6. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी)

दावा :– इस्तकरार हक भू–विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से

–:निर्णय :–

दिनांक :– 06/06/2025

यह वाद पत्र वादीगण द्वारा जरिए वकील श्री राजेश गुर्जर के पेश किया गया। वाद पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि यह है कि ग्राम मांगलोदी पटवार हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी सरहद में कृषि भूमि के खसरा नम्बर 229 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 4.58 हैक्टर कुल खसरे 02 कुल रकबा 4.62 हैक्टर, स्थित चली आ रही है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि मुझ वादी का 9/16 हिस्से की काबिज खातेदारी दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त भूमि में मुझ वादी का खसरा नम्बर 245 रकबा 2.5987 हैक्टर भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा हूॅ। उपरोक्त भूमि पर मुझ वादी का वर्णित नज़री नक्सा अनुसार ही काबिज चला आ रहा हूॅ तथा उसी अनुसार उपयोग–उपभोग करता आ रहा हूॅ मौके पर काबिज होकर बटवारा कर रखा है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज [illegible] रही है। नजरी नक्शा अनुसार बटवारा किया जाना आवश्यक है, जिसका नजरी नक्शा [illegible] प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:39:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

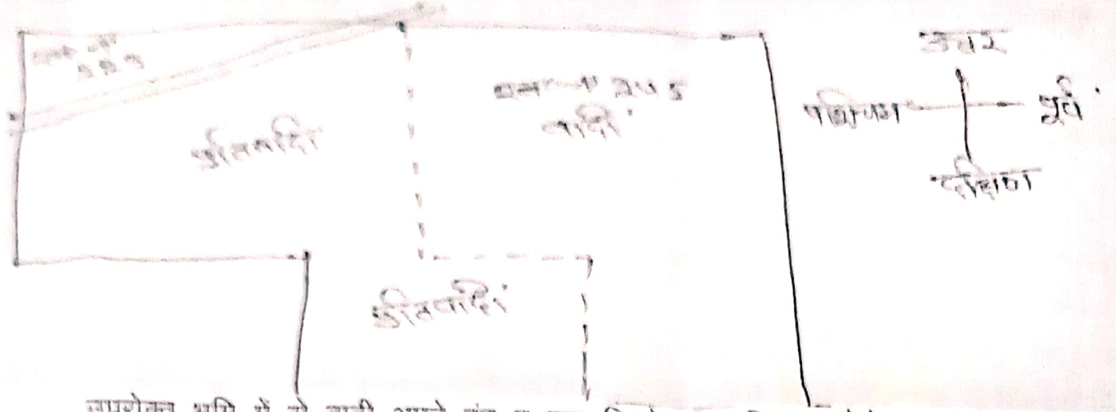

उपरोक्त भूमि में से वादी अपने बंट व हक हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज अनुसार भू–विभाजन कर Separate Holding कायम करवाना चाहता है, जिससे भू–विभाजन को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो, इसलिए वादी अपने बट व हक हिस्से की भूमि का भू–विभाजन कराने का हकदार है। उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार है व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 रहन होने से पक्षकार है, व प्रतिवादी संख्या 7 भूमिधारी होने से औपचारिक पक्षकार बनाये गये है। बिनाय दावा हाल ही पटवारी हल्का को मेरी हक हिस्से कि भूमि का अलग बटवारा करवाने बाबत कहा कहा तो उन्होने प्रतिवादीगणो कि सहपति चाही तो प्रतिवादीगण इतने दीनो तक तो कहते रहे, अब साफ इनकार कर देने पर बामुकाम यह वाद आज ग्राम मांगलोदी में उत्पन्न हुआ।

इस्तदुआ वादी :–

ग्राम मांगलोदी पटवार हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी सरहद में कृषि भूमि के खसरा नम्बर 229 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 4.58 हैक्टर कुल खसरे 02 कुल रकबा 4.62 हैक्टर में से खसरा नम्बर 245 की भूमि में वादी के 9/16 वां हिस्सा कि स्पष्ट खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावे। उपरोक्त भूमि में वादी अपने हक हिस्से की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित नजरी नक्शा अनुसार भू–विभाजन कर Separate Holding कायम किया जाकर प्रतिवादी का नाम खातेदारी से हटाया जाने का आदेश तहसीलदार को करावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के सम्मन चस्पानगी रिपोर्ट के साथ प्राप्त व प्रतिवादी संख्या 03 से 06 के सम्मन तामिल होकर प्राप्त। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। जिनके के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वकील वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम मांगलोदी के खाता संख्या 39(नया) की जमाबंदी नकल सम्वत् 2075–78 एवं नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में वादी पेमाराम पुत्र गिरधारी का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस दौरान वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध [illegible] गया। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मीट्स [illegible] भू–विभाजन करवाकर सेपरेट होल्डिंग कायम किए जाने का निवेदन किया है। उपरोक्त [illegible] में अंकित तथ्यों अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 अपने हक हिस्से की भूमि [illegible] शांति से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा बंटवारा करवाकर अपना हक हिस्सा पृथक करवाना चाहते हैं। प्रतिवादीगण का अनुपस्थित रहना इस बात की ताईद करता है कि उन्हें उज्र एतराज नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि में वादीगण अपने–अपने हक हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:39:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

की सेपरेट होल्डिंग कायम करवाकर बंटवारा कराये जाने के कथन किये है। जिसकी पुष्टि उपलब्ध रेकार्ड, शपथ पत्र इत्यादि से होती है। अतः वाद वादी काबिल अंतिम डिक्री योग्य पाया गया, जो निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

—: आदेश :—

वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाकर ग्राम मांगलोदी हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 229 रकबा 0.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 4.5800 हैक्टयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 4.6200 हैक्टयर में वादी पेमाराम को वाद पत्र में अंकित नजरी नक्शा अनुसार हिस्सा 9/16 अर्थात् 2.59875 हैक्टयर (राहिन बदस्तूर) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी शुल्क प्रस्तुत होने पर तहसीलदार कुचामनसिटी को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/06/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार-I)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:39:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

बईजलास :– सुनील कुमार I,(RAS)
पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमारI,(RAS)
राजस्व वाद संख्या :– 99/20254 GCMS 2024/184
वादी :–

1. पेमाराम पुत्र गिरधारी आयु 65 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जैसाराम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी–ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

गौरादेवी पत्नी भागुराम फौत के कायम मुकाम

1. भंवरलाल पुत्र भागुराम जाति मेघवाल निवासी–ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामन जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।
2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नावां
4. राजस्थान मरूधरा बैंक शाखा मिठड़ी
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी)

दावा :– इस्तकरार हक भू–विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू–बरू ....मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाकर ग्राम मांगलोदी हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 229 रकबा 0.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 4.5800 हैक्टयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 4.6200 हैक्टयर में वादी पेमाराम को वाद पत्र में अंकित नजरी नक्शा अनुसार हिस्सा 9/16 अर्थात् 2.59875 हैक्टयर (राहिन बदस्तूर) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी शुल्क प्रस्तुत होने पर तहसीलदार कुचामनसिटी को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 06 माह 06........... सन् 2025..... को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:39:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार-I)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दाअलेह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प तजवीज मजूरा			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बकाया इजराय हुक्मनामा		
बकाया इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(सुनील कुमार-I)
उपखण्ड अधिकारी
मकराना (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:39:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner